बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश

विज्ञापन संख्या 06/2015 के अन्तर्गत खनिज विकास पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल घोषित 27 उम्मीदवारों का साक्षात्कार कार्यक्रम निम्नलिखित है:–

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय 2:30 बजे अपराह्न से)
शुक्रवार 24.08.2018	600002, 600065, 600112, 600141, 600184, 600188, 600207, 600209, 600211, 600217, 600241, 600257, 600266, 600271	600285, 600302, 600304, 600317, 600341, 600343, 600369, 600394, 600414, 600416, 600430, 600434 एवं 600436

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र **साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व से** आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार द्वारा अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I भी उपलब्ध रहेगा, जिसे उम्मीदवार द्वारा भरकर साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।**

3. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगा :–**

(i) जन्म तिथि के साक्ष्य (Proof of Date of Birth) हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति

(iii) एम॰एस॰सी॰/एम॰टेक/एम॰ई॰ डिग्री का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति

(v) बी॰एस॰सी॰/बी॰टेक/बी॰ई॰ डिग्री का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र

(vi) विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति

(vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की मूल प्रति

(viii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)

(ix) सरकारी सेवक, जिन्होंने उम्र में छूट का लाभ लिया हो, के द्वारा सरकारी सेवा में रहने का मूल प्रमाण पत्र।

नोट :– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिला उम्मीदवारों को पिता के नाम एवं पता से बना जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि लिखित परीक्षा हेतु समर्पित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (30.04.2015) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

4. **खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–2154, दिनांक 22.05.2014 द्वारा साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के लिये 50 अंक होंगे। इसके लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक निर्धारित नहीं किये जायेंगे।**

5. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। (महिला की स्थिति में पिता के नाम एवं पता से निर्गत प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।

(iii) विकलांग की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सक्षम प्राधिकार के सम्बन्ध में कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 द्वारा किया गया निर्धारण निम्नवत् है:–

"निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकार होगा। केन्द्र/राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम मूक सदस्य/चलने फिरने की निःशक्तता/कम सुनाई देने की निःशक्तता, जैसे भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।"

6. **साक्षात्कार के लिए आमंत्रित आवेदकों की अभ्यर्थित्ता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर वैधिक स्थिति के अनुरूप यथासमय आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**
7. **सभी उम्मीदवार साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स इत्यादि में से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।**
8. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

7.8.18

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना